



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

03 चैत्र, 1943 (श०)

संख्या- 211 राँची, सोमवार,

22 मार्च, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

3 दिसम्बर, 2020

विषय :- माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति उपरान्त अर्जित अव्यवहत अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति के सम्बंध में ।

संख्या-13/न्या० विविध-05/2017 का० 6242 --The High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954 की धारा- 4(A) एवं संगत धारा-13 के अनुसार माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति उपरान्त अर्जित अव्यवहत अवकाश के नगदीकरण हेतु झारखण्ड उच्च न्यायालय से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री की सहमति प्राप्त कर इसकी स्वीकृति हेतु माननीय राज्यपाल को भेजा जाता रहा है। स्वीकृत्योपरांत स्वीकृत्यादेश का संसूचन इस विभाग के माध्यम से महालेखाकार, झारखण्ड को किया जाता है ।

2. इस संदर्भ में राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक 1001/रा0स0 दिनांक 09.06.2020 के द्वारा झारखण्ड उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के अव्यवहत उपार्जित अवकाश के नगदीकरण के मामले में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के स्तर से स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया अपनाने हेतु निदेश दिया गया है ।

3. राज्यपाल सचिवालय के उक्त पत्र में प्रदत्त निदेश के आलोक में समयक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माध्यम से राज्य सरकार (मुख्यमंत्री) के स्तर से माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति उपरान्त अर्जित अव्यवहृत अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाएगी ।

4. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ओम प्रकाश साह

सरकार के संयुक्त सचिव ।
